

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्रीमती सविता शिल्ला व्याख्याता-जीव-विज्ञान, रा0उ0मा0विद्यालय, जूनिया, अजमेर द्वारा राजस्थान सेवा नियम-08 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना नाम साव्या शिल्ला (नया नाम) परिवर्तित किया है।

अतः श्रीमती सविता शिल्ला व्याख्याता-जीव-विज्ञान, रा0उ0मा0विद्यालय, जूनिया, अजमेर के राजकीय सेवा संबंधित समस्त अभिलेखों में इनका नाम साव्या शिल्ला अंकित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में श्रीमती सविता शिल्ला संबंधित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम साव्या शिल्ला संबोधित/जारी किया जावें।


(सौरभ स्वामी)


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/उपनाम-परिवर्तन/2018-19

दिनांक:- 19/03/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा),
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,.....।
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. संबंधित संस्था प्रधान.....।
7. संबंधित कार्मिक.....।
8. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्रीमती मोनिका कुक्कड़ व्याख्याता-रसायन-विज्ञान, रा0उ0मा0विद्यालय, भागसर, सादुलशहर, श्रीगंगानगर द्वारा राजस्थान सेवा नियम-08 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना नाम मोनिका मदान(नया नाम) परिवर्तित किया है।

अतः श्रीमती मोनिका कुक्कड़ व्याख्याता-रसायन-विज्ञान, रा0उ0मा0विद्यालय, भागसर, सादुलशहर, श्रीगंगानगर के राजकीय सेवा संबंधित समस्त अभिलेखों में इनका नाम मोनिका मदान अंकित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में श्रीमती मोनिका कुक्कड़ संबंधित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम मोनिका मदान संबोधित/जारी किया जावें।



(सौरभ स्वामी)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/उपनाम-परिवर्तन/2018-19

दिनांक:- 19/03/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा),
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,.....।
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. संबंधित संस्था प्रधान.....।
7. संबंधित कार्मिक.....।
8. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्रीमती शशी दीक्षित व्याख्याता-गृह-विज्ञान, रा0बा0उ0मा0 विद्यालय, मटका चौक, श्रीगंगानगर के द्वारा राजस्थान सेवा नियम-08 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना नाम शशी पाण्डेय (नया नाम) परिवर्तित किया है।

अतः श्रीमती शशी दीक्षित व्याख्याता-गृह-विज्ञान, रा0बा0उ0मा0 विद्यालय, मटका चौक, श्रीगंगानगर के राजकीय सेवा संबंधित समस्त अभिलेखों में इनका नाम शशी पाण्डेय अंकित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में श्रीमती शशी दीक्षित संबंधित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम शशी पाण्डेय संबोधित/जारी किया जावे।



(सौरभ स्वामी)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/उपनाम-परिवर्तन/2018-19

दिनांक:- 19/03/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा),
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,.....।
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. संबंधित संस्था प्रधान.....।
7. संबंधित कार्मिक.....।
8. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर